

Ujjivan Small Finance Bank
पंजीकृत पता: ग्रेप हाउस, सं. 27, तीसरा 'ए' अंग्रे, 18 एम, 6टा ब्लॉक, कोरमण्डा, ईगुलुस-560095, शेनईय कार्यालय : जीएफटीडी भवन, प्लॉट सं. जी-7, सेक्टर-3, मोहडा (उ.प्र.)- 201301, शाखा सोनखर : वार्ड सं.13, भुल्लर, सोनखर, अहिंसा संकलन के पास, सोनखर रोड, खेरली, कागपुरा, अलवर, खेरली, अलवर-321606, संपर्क व्यक्ति — 1) राहिन नुजा, मोब : 8112269452 (2) संजय शर्मा, मोब : 993365566
शुद्धिपत्र— सार्वजनिक नीलामी सूचना
इसका संदर्भ 21.05.2026 को बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) पेज सं. 17 और बिजनेस स्टैंडर्ड(हिंदी) पेज सं. 12 में प्रकाशित सार्वजनिक नीलामी सूचना से है, जो 30.06.2026 को निर्धारित है। इस संदर्भ में, बैंक ने खारे की नीलामी की विनांक बहा दी है— (1) अजीत सिंह डूध रूप सिंह , ऋण खाता सं. 23372501200000001 की ई—नीलामी की विनांक और समय : 30.07.2026 अपरॉड 04:00 बजे तक, संपत्ति का निरीक्षण करने की विनांक और समय : 23.07.2026 अपरॉड 02:00 बजे पूर्व निगमित ऑनईंटमेंट के साथ अन्य नियम और शर्तें समान रहेंगे। दिनांक: 20.06.2026 प्राधिकृत अधिकारी स्थान : मल्लपुर (राज.) उज्जीवन स्मॉल फाइनंस बैंक

नोटिस
मेसर्स ओम कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड – दियाला और शोचन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत कॉर्पोरेट दियाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत सीआईएफ – U45200DL2006PTC155377 पंजीकृत कार्यालय: एच–10/103, पहली मंजिल, एक्सप्रेस आर्कड नेताजी सुभाष प्लेस, भीतमपुरा, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत–110034

समाधान पेशेवर द्वारा **मेसर्स ओम कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड** की परिसंपत्तियों का नियंत्रण और अभिरक्षा लेना यह आपके ध्यान में लाने के लिए है कि दिनांक 22.04.2026 के आदेश के अनुसार, अपोहस्ताक्षरी को उपरोक्त कॉर्पोरेट देनदार के अंतर्गत समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया है और आगे सीओसी की मंजूरी के बाद समाधान पेशेवर के रूप में जारी रखा गया है। पूर्वीक आदेश के अनुसार, निदेशक मंडल और कॉर्पोरेट देनदार के अन्य मांगीदारी की सभी शक्तियाँ निरस्तित कर दी गई हैं और अब समाधान पेशेवर के साथ निहित है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकारी और प्रबंधक समाधान पेशेवर को रिपोर्ट करेगे और कॉर्पोरेट देनदार के ऐसे दस्तावेजों और रिकॉर्ड तब पहुंच प्रदान करेंगे जो समाधान पेशेवर द्वारा आवश्यक हो सकेंगे।

- i. दियाला और शोचन अक्षमता संहिता, 2016 (यहाँ आगे "संहिता" कहा गया है) की धारा 18, 20, 23 की शर्तों के अनुसार, समाधान पेशेवर को कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों, संपत्ति, प्रभावों और कार्रवाई योग्य दायों की अभिरक्षा और नियंत्रण लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही, आईबीसी की धारा 18(1)(एफ) के अनुसार, समाधान प्रोफेशनल किसी भी संपत्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेगा, जिस पर कॉर्पोरेट देनदार का स्वामित्व अधिकार है, जैसा कि कॉर्पोरेट देनदार के तुलनपत्र, या सूचना उपयोगिता या प्रतिभूतियों के डिक्लिंजिटी या किसी अन्य रजिस्ट्री के साथ जो परिसंपत्तियों के स्वामित्व को रिकॉर्ड करता है, में दर्ज किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सामिलता होगे:-
- (ए) ऐसी परिसंपत्तियाँ, जिन पर कारपोरेट देनदार के स्वामित्व अधिकार हैं, जो किसी विदेश में स्थित हो सकती हैं;
- (ii) परिसंपत्तियों जो कॉर्पोरेट देनदार के कब्जे में हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं;
- (iii) मूर्त परिसंपत्तियों, चाहे चल या अचल हों;
- (iv) बौद्धिक संपदा सहित अमूर्त परिसंपत्तियों;
- (v) कॉर्पोरेट देनदार की किसी सहायक कंपनी में धारित शेयरों, वित्तीय इंस्ट्रुमेंट, बीमा पॉलिसियों सहित प्रतिभूतियाँ;
- (vi) किसी व्यापारय या प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व के निर्धारण के अधीन परिसंपत्तियाँ;

II. समाधान पेशेवर निम्नलिखित से संबंधित सूचना सहित कॉर्पोरेट देनदार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों, ित और प्रभावतों से संबंधित सभी जानकारी भी एकत्र करेगा—

- i. पिछले दो वर्षों के लिए व्यवसाय प्रवाहान;
- ii. पिछले दो वर्षों के लिए वित्तीय और प्रवाहान भुगतान;
- iii. आरंभ की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं की सूची; और
- iv. ऐसे अन्य मामले जो निरिद्ध किए जा सकते हैं;

किसी भी परिसंपत्ति (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) का कब्जाधारी, या कंपनी के व्यावसायिक प्रभावतों, तात्पिक याद, या अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड से संबंधित सहायक दस्तावेजों के साथ कोई जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से अनुबंध किया जाता है कि वह ऐसी परिसंपत्तियों को सीप दें और इस तरह की जानकारी को सहायक दस्तावेजों के साथ दिनांक 02.07.2026 को या उससे पहले समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करें।

कोई भी व्यक्ति जो इसका बाद कॉर्पोरेट देनदार की किसी भी संपत्ति के अनधिकृत या अवैध कब्जा रखते हुए गया जाता है, या जो समाधान पेशेवर के साथ साध्योग करने में विफल रहता है, दियाला और शोचन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अप्रयोगित और दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

यह भी अधिसूचित किया गया है कि दिनांक 22.04.2026 के आदेश के अनुसार, दियाला और शोचन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 14 के तहत उक्त तारीख से प्रभावी एक अधिस्वयन (मोर्टोरेरियम) घोषित किया गया है।

हस्ता, /—
विजेन्द्र शर्मा
समाधान पेशेवर—

मेसर्स ओम कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
आईबी पंजीकरण सं.— IBB/PA-003/IP-N00003/2016-2017/10022
पता—नीहावरसपुर इनर्वाइस सिटी प्रोफेशनल एलएसी
11 (तीसरी मंजिल) हरगोविंद एक्सेस, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
ई—मेल: vijender@vsa.net.in, प्रोसेस प्लेन आईई— okd.cirp@gmail.com
एएफए विधिमार्ग तिथि 31.12.2026

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — every day with **Stocks in the News** in Business Standard.

To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in



Business Standard Insight Out

REFORM RECONSTRUCTION

रिफार्म एसेट पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड
(पूर्व में रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
दूसरी मंजिल, आईआईसी वीनस-4, राखी विहार रोड, एफटीएलएस कार्यालय के पास, पर्वड मैड— 400072, फ़ोन: +91 2268959000

कम्पडा नोटिस - परिशिष्ट IV नियम 8(1) (अचल संपत्तियों के लिए)

जबकि अपोहस्ताक्षरकर्ता ने रिफार्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (पूर्व में रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से ज्ञात) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के प्रवर्तन और धारा 13 (12) सरक्षित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तियों और सह कर्ता/ों और जमानदार को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित बकाया राशि चुकाने के लिए धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है: कर्ता/ों, सह कर्ता/ों और जमानदार द्वारा यह राशि न चुका पाने के कारण कर्ता/ों, सह कर्ता/ों और जमानदार एवं आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अपोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 8 प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे दिए गए विवरण वाली संपत्ति का कब्जा ले लिया है।कर्ता/ों, सह कर्ता/ों और जमानदार को विशेषकर तथा आम जनता को सामान्य रूप से संवेत किया जाता है कि वे नीचे उल्लिखित संपत्ति / संपत्तियों में कोई लेनदेन न करें और इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का रिफार्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (पूर्व में रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से ज्ञात) तथा उस पर प्रभिय के ब्याज व खर्चों के कृपाभार प्रभार के अधीन होगा। कर्ता/ों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए अग्रगणित किया जाता है, जो उपलब्ध संपत्तियों को छुड़ा लेने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में है।

ऋण संख्या ऋणी/यों, सहऋणी/यों और गारंटर का नाम	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि और राशि	कब्जा सूचना की तिथि
ऋण खाता संख्या: PL7505 & TP494 रफीक खां पुत्र सुवर्ताली खां निवासी 171 मोहल्ला छिछों का रायपुर जागीर, नीम का धाना, सीकर, राज. 332701 (ऋणी) पद्मान बाबु पत्नी रफीक खां निवासी 171 मोहल्ला छिछों का रायपुर जागीर, नीम का धाना, सीकर, राज. 332701 (सहऋणी) रशिद खां पुत्र सुवर्ताली खां निवासी 171 मोहल्ला छिछों का रायपुर जागीर, नीम का धाना, सीकर, राज. 332701 (गारंटर) रमजान खां पुत्र छुट्टन खान निवासी 171 मोहल्ला छिछों का रायपुर जागीर, नीम का धाना, सीकर, राज. 332701 (गारंटर) सोनू खां पुत्र सुवर्ताली खां निवासी रायपुर जागीर, नीम का धाना, सीकर राज. 332701 (गारंटर) इमारा बाबु पत्नी सुवर्ताली खां निवासी रायपुर जागीर, नीम का धाना, सीकर राज. 332701 (गारंटर)	संपत्ति स्वाधिनय: रफीक खां, सोनू खां, राशिरद खान पुत्र सुवर्ताली खां संपत्ति के सभी अधिन अथ रिहायगी पट्टा सं. 10 क्षेत्रफल 69.33 वर्गगज जिन प्राय पंचायत रायपुर जागीर, पंचायत समिति नीम का धाना, सीकर, राज. सहायता: पूर्व: आमराता पश्चिम: छुट्टन खान का मकान उतार: रुडमनसिखा का मकान दक्षिण: इमामपुरातन का मकान	दिनांक 27 जून 2024 एवं ₹ 5,11,025/- (पांच लाख पचाह्र हजार पच्चीस रुपये मात्र)	16 जून 2026

दिनांक: 22.06.2026

स्थान: समस्त राजस्थान

प्राधिकृत अधिकारी रिफार्म एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: एमबीडी हाउस, मुल्लभ मयन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फ़ोन: +91-011-86107107, 011-89223700 वेबसाइट: www.dmhousingfinance.in
फैक्स: +91-11-41204000 ईमेल: vinay.sharma2@dmhousingfinance.in

ई—नीलामी विक्रय सूचना (सर्वेक्षी अधिनियम के अंतर्गत) अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई—नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा सर्वसामान्य को ज्ञाप्य विवेक रूप में उपारकर्ता/ों एवं गारंटर/ों को निम्न संबंधितद्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि डीएमआई हाउसिंग फाइनंस प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधकृत अव्योर्गनित संपत्तियों का अधिग्रहण पहले ही वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत कर लिया गया था। जबकि प्रतिभूत ऋणदाता जो अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई है, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सर्वेक्षी) की धारा 13(4) के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न बर्णित संपत्ति को निमालिखित बकाया राशि तथा माद की नीलामी करेगा, बुद्धको एवं लगतों इत्यादि की प्रसूती करने के लिये ई—नीलामी पर रखेगे। संपत्तियों का विक्रय "जैसी है जहां है" यहां जो कुछ भी है एवं बिना संसादन के आकार पर किया जा रहा है, क्योंकि यह विक्रय किसी भी प्रकार की गारंटी एवं वारंटीयों के बिना है।

नीचे उल्लिखित संपत्तियों केबिनाइट <https://www.bankenauctions.com> के माध्यम से ऑनलाइन ई—नीलामी के माध्यम से सभी जागरी निष्पन्न तिथि एवं समय: 17.07.2026 को पूर्वा. 11:00 से अत्र 03:00 बजे ई—नीलामी की तिथि एवं समय: 25.07.2026 को पूर्वा. 11:00 से अत्र 01:00 बजे कोसी / ईगुलसी जमा करके की अंतिम तिथि: 21.07.2026 को अत्र 05:00 बजे

क्र.सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम	बकाया राशि	सुरक्षित आसित का विवरण	आवृत्तित मूल्य /ईगुलसी 10%
1	उपारकर्ता का नाम मुर्त मूल सरिता चकार्का का नाम आसती देवी	ऋण आदेश सं. LOS2024090007975 ₹. 7,48,904/- (रु. सात लाख अड़तीस हजार नौ सौ बीसहत्तर मात्र) 28-नवंबर-2025 तक	सम्पत्ति के यह समस्त भाग एवं अंश जोकि खसत नंबर 292, ग्राम भोर्डोई का बरा, दातामण्डल, सीकर, राजस्थान 332703, भारत, माप 136 वर्ग गां। संकेतिक कब्जा की तिथि: 10-04-2026	₹. 7,21,000/- ₹. 72,100/-
2	उपारकर्ता का नाम राधेश कुमार कांतिलाल लोहार किरण कुमारी का नाम किरण कुमारी, हरा कांतिलाल लोहार, हरा	ऋण आदेश सं. LOS2024070001468 ₹. 26,16,822/- (रु. अठ्तीस लाख सोहह हजार आठ सौ बीस मात्र) 28-नवंबर-2025 तक	सम्पत्ति के यह समस्त भाग एवं अंश जोकि पट्टा संख्या 49, तहसील देवरी, ग्राम पंचायत धागेवल, पंचायत समिति देवरी, राज. राजस्थान 306704, भारत, संक्षेि क्षेत्रफल 1,725 वर्ग गुं। संकेतिक कब्जा की तिथि: 09-04-2026	₹. 49,05,030/- ₹. 4,90,503/-

नियम तथा शर्तें:

- प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं विवरण के अनुसार किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व नीलामी हेतु रखी गई संपत्तियों पर विद्यमान भारों, संपत्ति के स्वामित्व तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दायों/अधिकारों/देय शक्तियों के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जाँच-पड़ताल करनी चाहिए। यह ई—नीलामी विधायन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा अम्पायेदन का गठन नहीं करता है और न ही ऐसा माना जाएगा। संपत्ति का विक्रय सभी वर्गमान एवं भावी भारों सहित किया जा रहा है, चाहे वे बैंक की जानकारी में हो अथवा नहीं। किसी भी शुद्धी पत्र के दावे/अधिकार/देय राशि/लंबित पैमानिक बकाया/कर आदि के लिए प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
- बोली प्रस्तुत करने से पूर्व परिसंपत्ति एवं उसके विभिन्नता का निरीक्षण कर स्वयं सुरक्षित होना बोलीदाताओं का दायित्व होगा। नीलामी हेतु रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति के विवरण के सम्मत् उल्लिखित स्थल पर करने की अनुमति दी जाएगी।
- इच्छुक बोलीदाता अपनी ब्याना राशि की जानकारी तथा दस्तावेज वेब पोर्टल <https://www.bankenauctions.com> के माध्यम से प्रवेश पहचान एवं कूटशब्द का उपयोग कर प्रस्तुत करेंगे। (प्रवेश पहचान एवं कूटशब्द <https://www.bankenauctions.com> पर नाम पंजीकृत कर निमुल्लक प्राप्त किए जा सकते हैं।) जिन इच्छुक बोलीदाताओं को प्रवेश पहचान एवं कूटशब्द बनाने, अधिक अपलोड करने, बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने, ऑनलाइन आरंभ—बोली प्रक्रिण/प्रदर्शन आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे मेसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 68, सेक्टर-44, मुन्गाण, हरियाणा, पिन-122003, एवं गैट- support@bankenauctions.com, andhra@icrindia.com संपर्क संख्या: 7291981124, 25, 26, संपर्क व्यक्ति: की घरनी कुमा, मोबाइल संख्या +91 9948182222 से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी संपत्ति संबंधी प्रश्न हेतु प्राधिकृत अधिकारी की शिपय मार्ग, मोबाइल संख्या 8955850834 एवं ई-मेल: vnay.sharma2@dmhousingfinance.in से सोमवार से शुक्रवार कार्य समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।
- बकाना राशि एनईएफटी/आउटरीजस के माध्यम से देय होगी जिसकी सील लिमिटेड, बैंक द्वारा जारी की जाएगी) तथा इसे अधिकतम 21.07.2026 को सायं 05:00 बजे तक निम्नलिखित स्थान में जमा किया जाएगा: एनईएफटी बैंक लिमिटेड, बैंक हाउस राज्वा, गुरुग्राम, खाता संख्या 00030330020098, खाते का नाम सीएमआई हाउसिंग फाइनंस प्राइवेट लिमिटेड, आईएफएससी कोड: HDFC0000572, अथवा सीएमआई हाउसिंग फाइनंस प्राइवेट लिमिटेड के पत्र में आसित मार्ग इगुल/भुगतान आदेश के माध्यम से, जो प्राधिकृत अधिकारी, एमबीडी हाउस, मुल्लभ मयन, द्वितीय तल, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 के माध्यम से।
- परिसंपत्तियों का विक्रय आवृत्तित मूल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी उपलब्ध प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी अवस्था सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई—नीलामी को स्थगित/रद्द/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
- सफल बोलीदाता की ब्याना राशि को विक्रय प्रतिकल के भाग के रूप में समायोजित कर रखा जाएगा तथा असफल बोलीदाताओं की ब्याना राशि नीलामी की तिथि से 7 कारों दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी। बकाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को बकाना राशि समायोजित करते हुए विक्रय मूल्य का 25% तत्काल अवतं उरि देनी अथवा अधिकतम अगले कारों दिवस तक जमा करना होगा तथा विक्रय मूल्य का शेष 75% विक्रय की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी के एकमात्र विवेकाधिकार से स्तिरित रूप में स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए बोली प्रस्तुत करने अथवा ई—नीलामी में भाग लेने से पूर्व <https://www.dmhousingfinance.in> तथा <https://www.bankenauctions.com> का अवलोकन करें।

उपारकर्ता/गारंटर इसे सूचना हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अधीन सूचना देने तथा एतद्वारा उन्हे सूत्र सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त बर्णित संपूर्ण देयता का भुगतान करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है, अथवा उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार परिसंपत्तियों का विक्रय कर दिया जाएगा।

दिनांक: 22.06.2026 स्थान: राजस्थान हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी, डीएमआई हाउसिंग फाइनंस प्रा. लि.

	बजाज फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : बजाज पब्लिसि लिमिटेड, सी/ओ बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्प्लेक्स, मुंबई पुणे रोड आरुसी पुणे- 411035 शाखा पता : 5वां तल, मंगलम् एम्प्लोय टावर, प्लॉट नंबर डी-46-बी, सुभग मार्ग, अदरम सॉलिस, मानन का पौराण, सी-व्हीन, उज्जपुर-302001, भारत		
कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों हेतु)			
(परिशिष्ट-IV) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)			
जबकि अपोहस्ताक्षरी ने बैकरी बजार सॉलिस लिमिटेड (बैकरीबज) के रूप में वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के अंतर्गत पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(री)/सह कर्जदार(री) को पंजीकृत ऋण दाता मांग (एट्टेशन) जारी की है, जिन्ने उनसे उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना में बर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर बचो की मांग की गई थी। निम्नलिखित ऋण कर्जदार/बकायादा/गारंटर उक्त राशि चुकाने में असमर्थ रहे है, एतद्वारा कर्जदार(री)/बकायादा(री)/ गारंटर और जनस्वयन को सूचना दी जाती है कि अपोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे बर्णित संपत्ति का संबंधीक कब्जा ले लिया है। कर्जदार को विशेष रूप से ज्ञाप्य जनस्वयन को सामन्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यहार नहीं करने हेतु सहायन किए जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यहार कर्जदार(री) पर ईएलए की द्वाये बर्णित शक्ति(री) तथा उस पर सर्वस्वक दत्त पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, द्रव्यभूत अस्तित्वों को चुकाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की और अग्रुद्ध किया जाता है।			
क्र.सं.	ऋण खाता सं/ कर्जदार(री)/बकायादा(सी)/ गारंटर(री) का नाम	संपत्ति का वर्णन संपत्ति की अनुसूची	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि और धारा 13(2) के तहत सूचना राशि और कब्जा की तिथि
1	तेन 5061.AP14339562 और 5061.AP15014615	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर 61, 62 और 63 वर. नंबर 747/1 उद्योग नगर स्वतंत्र मखर औद्योगिक क्षेत्र बकामंड द्वितीय फेज जिला जेठपुर 342001	17-04-2026
2	तन टेस लिमिटेड (मालवका)	सम्पत्ति के सभी अंश सीएमए – प्लॉट नंबर 61 (परिधाय-3750 वर्ग बीट) पूर्व – वी. नंबर 62, परिधाय- वी. नंबर 60, छतर- अन्य संपत्ति, दक्षिण-सकड़ 30, प्लॉट नंबर 62 (परिधाय-3750 वर्ग बीट) पूर्व-वी नंबर 63, परिधाय-वी. नंबर 61, छतर- अन्य संपत्ति, दक्षिण-सकड़ 30', प्लॉट नंबर 63 (परिधाय-3750 वर्ग बीट) पूर्व-वी, नंबर 64, परिधाय-वी. नंबर 62, छतर- अन्य संपत्ति, दक्षिण-सकड़ 30'	₹. 4,87,96,967 /— (चत्तर लाख पचास हजार बी सौ सत्तानमात्र)
			19-06-2026 को
तिथि : 19-06-2026 स्थान : राजस्थान कृते बजाज फाइनैस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी			

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक

दूसरा तल, जीएमटीडी बिल्डिंग
फ़ी-7, सेक्टर 3, नोएडा, उ.प्र.-201301

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002
की धारा 13(2) के तहत समाचार पत्र प्रकाशन के माध्यम से मांग सूचना

शाखा और कर्जदार/ जमानती के नाम		प्रत्यक्षपुत्र/परिवंसी का विवरण	मांग सूचना की तारीख	एनपीसी की तारीख	मांग सूचना के अनुसार राशि
शाखा: भीलवाड़ा					
संपत्ति पट्टा संख्या		26.05.2026	11.05.2026		₹. 4,95,306/-
1. गिष्करी लाल लेटी ... गिष्करी लेटी ... गिष्करी पुत्र उमरा लाल लेटी ... कर्जदार, मुंठेर मोहल्ला, नगर-सालरिया पुर, तहसील हाडगुडर, सालरिया कोटी, भीलवाड़ा, राजस्थान-311603. अन्य पता: गिष्करी लाल लेटी ... गिष्करी लेटी ... गिष्करी पुत्र उमरा लाल लेटी का कमान, जिरकावा पट्टा संख्या 32, लेटी मोहल्ला, नगर, सालरिया पुर, ग्राम चंभयत गिष्करी, चंभयत सतिथि शाही, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान-311404. 2. डाक देवी ... डाक लेटी ... पत्नी गिष्करी लाल लेटी ... गिष्करी लेटी ... गिष्करी ... सह-कर्जदार/जमानती सालरिया पुर, गिरेदिया कोटी, भीलवाड़ा, राजस्थान-311603. हाउसिंग (खाता नं. 22882100400000004)		32, एरिया पता 157.7 नं. गिष्करी लाल लेटी, चंभयत सतिथि शाही, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान के सस्तर गांव व खंड। जिरका लेटी सीपी निम्नवत है- पूर्वी: पिकित सराफा, पश्चिम: सागु/न्यू लेटी, उत्तर: कैलाश/हेमा लेटी, दक्षिण: सार्वजनिक चौपाल। यह संपत्ति आज नं 9 के ब्राम्ह 2 अंश गिष्करी लाल लेटी ... गिष्करी पुत्र उमरा लाल लेटी के नाम में है।		दि. 17.05.2026 से दि. 18.05.2026 से अनुबंधित दर से ब्याज एवं अन्य प्रभार	
शाखा: पाली					
संपत्ति संख्या		19.05.2026	10.04.2026		₹. 22,50,719/-
1. रतन लाल ... रतनलाल पुत्र राम लाल ... कर्जदार, 734, गणेश नगर, नया सर स्टैंड के पीछे, वार्ड नंबर 21, पाली, राजस्थान 306401. अन्य पता: रतन लाल ... रतनलाल पुत्र राम लाल 00 नं. बरा स्टैंड के पास, पीछे पेट्रोल पंप के सामने, पाली, राजस्थान, 306401. 2. सुनीता कुमारी ... सुनीता ... सह-कर्जदार/जमानती पत्नी रतन लाल ... रतनलाल, 734 गणेश नगर, नया सर स्टैंड के पीछे, पाली, राजस्थान, 306401। अन्य पता: सुनीता कुमारी ... सुनीता पत्नी रतन लाल ... रतनलाल लोकाशाह नगर, पत्नी नंबर 02, वीटीसी ब्यावर, पाली: ब्यावर, उप जिला ब्यावर, जिला: राजस्थान-305901. अन्य पता: सुनीता कुमारी ... सुनीता पत्नी रतन लाल ... रतनलाल लोकाशाह नगर, पत्नी नंबर 02, वीटीसी ब्यावर, पाली: ब्यावर, उप जिला ब्यावर, जिला: राजस्थान-306401. अन्य पता: सुनीता कुमारी ... सुनीता पत्नी रतन लाल ... रतनलाल लॉट नंबर 2, काजू कॉलोनी पाली, मगूर नगर पाली, जिला पाली, राजस्थान - 306401. अन्य पता: सुनीता कुमारी ... सुनीता पत्नी रतन लाल ... रतनलाल, प्लॉट नंबर 9, थक नंबर 01, खसरा नंबर 1215, निम्न टेक्साइल्स के पास, गणेश नगर पाली, जिला पाली, राजस्थान-306401		93.33 वी. गज, प्लॉट नंबर 2, ग्राम मंजरी व 93.33 वी. गज, प्लॉट नंबर 9, थक नं 01, खसरा नं 1215, स्लैम गणेश नगर, पाली, जिला पाली, राजस्थान के सस्तर गांव व खंड। इकाई सीपी निम्नवत है: पूर्वी: सराफा, पश्चिम: नरेंद्र 01, यह संपत्ति आज नं 9 के ब्राम्ह 2 अंश गिष्करी लाल लेटी ... गिष्करी पुत्र उमरा लाल लेटी के नाम में है।	दि. 21.04.2026 से दि. 22.04.2026 से अनुबंधित दर से ब्याज एवं अन्य प्रभार		
हाउसिंग (खाता संख्या 2235310120000004) हाउसिंग (खाता संख्या 2235310700000022) हाउसिंग (खाता संख्या 22353101700000024) हाउसिंग (खाता संख्या 22353104600000002)					

उपर्युक्त कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लिखित शर्तों का भुगतान करने की सहता भी जाती है, अथवा विविध आस्तियों के प्रतिभूतिकरण ए व पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार सूचना की तारीख से 60 दिनों की